संविदा- I

(Contract- I)

JSB LAW College

अनुभवी अध्यापकों द्वारा

Jaswant Singh Bhadauria Law Colege

Kosi Khurd, Bharatpur Road, Mathura

Mob. : 8979000125, 126

Scanned with CamScanner

Selected Study Material

JSB LAW College

Session 2019-20

Scanned with CamScanner

संविदा- I
Contract - I

संविदा की परिभाषा--

संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(ज) में दी गई है ।

"एक करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा है ।"

परिभाषा के अनुसार संविदा के दो आवश्यक तत्व हैं--

1. करार
2. विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार

करार Agreement की परिभाषा धारा 2(ङ) में इस प्रकार दी गई है ।

"हर एक वचन और वचनों का एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिये प्रतिफल हो करार है ।"

करार कब संविदा बन जाता है ?

जब करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है तो वह संविदा बन जाता है ।

करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय कब होता है ?

जब वह संविदा अधिनियम की धारा 10 की शर्तों को पूरा करता है ।

1. करार के पक्षकार सक्षम हों ।
2. पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति हो ।
3. विधिपूर्ण प्रतिफल हो ।
4. विधिपूर्ण उद्देश्य हो ।
5. करार अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो ।

धारा 10 के अनुसार सब करार संविदाएँ हैं । यदि वे संविदा करने के लिये सक्षम पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिये और विधिपूर्ण उद्देश्य से किये गये हैं और एतद्द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किये गये हैं । लेकिन उक्त धारा की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी । जहाँ किसी विधि के अन्तर्गत संविदा लिखित रूप में या साक्षियों की उपस्थिति में किया जाना उचित हो । या किसी विधि वह जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है ।

प्रत्येक संविदा करार होती है परन्तु प्रत्येक करार संविदा नहीं होता । केवल ऐसा करार

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

संविदा वन सकता है जो धारा 10 में वताई गई शर्तों को पूरा करें ।

1. इसके लिये कोई प्रतिफल होना चाहिए ।
2. पक्षकार संविदा सक्षम होना चाहिए ।
3. उनकी सहमति स्वतन्त्र होनी चाहिये ।
4. उद्देश्य विधि पूर्ण होना चाहिये ।

जैन मिल्स एण्ड इलैक्ट्रीक स्टोर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, ए.आई.आर. 1992

तरसेम सिंह बनाम सुखमिन्दर सिंह (1998, 35CC 471)

करार एग्रीमेन्ट

करार किसी संविदा का प्रथम चरण है । प्रत्येक संविदा में करार अन्तवलित होता है। लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता । करार से अभिप्राय है एक दूसरे के लिये प्रतिफल होने वाला हर एक वचन अथवा ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग ।

इस प्रकार करार से दो बातें आवश्यक हैं-- वचन एवं प्रतिफल ।

वचन प्रस्थापना और प्रतिगृहण से मिलकर बनता है ।

प्रस्थापना + प्रतिगृहण + प्रतिफल = करार

कोई वचन मात्र करार नहीं हो सकता इसके लिये प्रतिफल का होना आवश्यक है । इसी प्रकार मात्र सहमत होने के लिये दिया गया करार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता ।

पुनीत बेरिवाला बनाम सूबा सान्याल (ए0आई0आर0 1998 कलकत्ता)

सैविनो के अनुसार- "दो या अधिक व्यक्तियों की उससे विधिक संबंधों को प्रभावित करने के सामान्य आशय ही करार हैं ।"

शून्य करार--

करार या तो विधिवत प्रवर्तनीय हो सकता है या फिर अपृवर्तनीय हो सकता है। ऐसा करार जो विधिवत अप्रवर्तनीय हो शून्य करार कहलाता है ।

संविदा --

विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा कहलाती है । संविदा की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी करार का होना एवं ऐसे करार का विधित प्रवर्तनीय होना, किसी संविदा के सृजन की दो अनिवार्य शर्तें हैं--

कोई ऐसा करार, जो विधितः प्रवर्तनीय न हो, अपने आप में शून्य होता है, और वह संविदा का रूप नहीं ले सकता ।

संविदा विधि के दो महत्वपूर्ण पद हैं--

करार एवं संविदा ।

करार की उत्पत्ति वचन अर्थात् प्रस्तावना एवं प्रतिफल से होती है । जबकि संविदा के

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

लिए किसी एक और बात आवश्यक है और वह है करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना ।

वचन का अर्थ है-- प्रस्ताव + प्रतिग्रहण

करार का अर्थ है- वचन + प्रतिफल

संविदा का अर्थ है-- करार + विधि द्वारा प्रवर्तनीय

प्रत्येक संविदा में करार आवश्यक होता है पर प्रत्येक करार का संविदा होना आवश्यक नहीं - करार संविदा तभी होता है जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो ।

प्रस्ताव - प्रतिग्रहण - प्रतिफल - संविदा ।

प्रस्थापनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में--

प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण

संसूचना कब सम्पूर्ण हो जाती है ।

प्रस्थापनाओं और प्रतिगृहणों का प्रतिसंहरण

प्रतिसंहरण आत्यन्तिक होना चाहिये

शर्तों के पालन सा प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण

वचन अभिव्यक्त और विवक्षित

धारा 3. **प्रस्थापनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण--**

प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाता है, जिसे द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना,प्रतिगृहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करन ेका आशय रखता हो, या जो उसे संसूचित करने का ह्यास रखता है ।

धारा 4. संसूचना कब सम्पूर्ण हो जाती है -- प्रस्थापना की संसूचना तब सम्पूर्ण हो जाती जब प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जिसे वह की गई है । उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है ।

प्रतिग्रहण की संसूचना--

प्रस्थापन्न के विरुद्ध तब सम्पूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार परेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति के बाहर हो जाए; प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब सम्पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापना के ज्ञान में आती है --

प्रतिसंहरण की संसूचना--

उसे भरने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, जब वह उस व्यक्ति के प्रति, जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो, इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाए, उसे भरता है ।

LSB LAW College

Scanned with CamScanner

दृष्टान्त-

'क' अमुक कीमत पर 'ख' को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता हो। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब 'ख' को पत्र प्राप्त होता है ।

प्रतिग्रहण की संसूचना--

'क' के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाल में डाल दिया जायेगा 'ख' के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब 'क' को प्राप्त होता है ।

'क' के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है 'ख' के विरुद्ध प्रतिसंहरण तब संपूर्ण हो जाता है जब 'ख' को तार प्राप्त होता है ।

'ख' अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है 'ख' का प्रतिसंहरण 'ख' के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया जाता है और 'क' के विरुद्ध,जब तार उसके पास पहुँचता है ।

दृष्टान्त-

'क' अपना गृह 'ख' को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है । 'ख' प्रस्थापना को डेक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहीत करता है ।

'क' अपनी प्रस्थापना को 'ख' द्वारा अपने प्रतिगृहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंहत कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

'ख' अपने प्रतिगृहण को, उसे संसूचित करने वाला पत्र 'क' को पहुँचाने के पूर्व किसी भी समय या पहुँचाने के क्षण प्रतिसंहत कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

प्रस्थापना की संसूचना-

प्रस्थापक को प्रस्थापना की संसूचना प्रतिगृहीता को दी जानी आवश्यक है । प्रतिगृहीता बिना प्रस्थापना के ज्ञान के उसको प्रतिगृहीत नहीं कर सकता । यदि प्रस्थापना में कुछ विशेष शर्तें हैं तो उन शर्तों से प्रतिगृहीता तभी बाध्य होगा जब उन शप्तों को स्पष्ट और युक्तियुक्त सूचना दे दी गई हो परन्तु शर्तें लोकनीत के विरुद्ध हैं तो प्रतिगृहीता उन शर्तों से बाध्य नहीं होगा ।

प्रस्थापना की संसूचना मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा आचरण द्वारा किया जा सकता है । प्रस्थापना की संसूचना तब सम्पूर्ण हो जाती है । जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है । उदाहरण के लिये, 'क' अमुक कीमत पर 'ख' को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है । प्रस्थापना की संसूचना तब सम्पूर्ण हो जाती है जब 'ख' को पत्र प्राप्त होता है । (धारा 4) ।

लालमन शुक्ला बनाम मौरीदत्त (1913), इला0 एल0जे0 489

किसी प्रस्थापना का प्रतिगृहण होना चाहिये । बिना प्रस्थापना के ज्ञान के प्रतिगृहण नहीं हो सकता, उक्त मामले में प्रतिवादी का भतीजा खो हगा । प्रतिवादी ने भतीजे को खोजने के लिये मुनीम को भेजा । उसके जाने के वाद प्रतिवादी ने भतीजे को खोज कर लाने

ISBT LAW College

Scanned with CamScanner

वाले को 501 रुपया इनाम देने की घोषणा की । मुनीम बच्चे को खोज लाया । उसके बाद उसे प्रस्थापना (इनाम की घोषणा) का ज्ञान हुआ । मुनीम ने इनाम प्राप्त करने के लिये वाद लाया। न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया औरकहा कि वाद संविदा के आधार पर ही लाया जा सकता है ।

संविदा का आशय-

भारतीय संविदा अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है है और न ही कोई ऐसा निर्णीत वाद है कि जिसमें यह कहा गया हो कि प्रस्थापना या उसका प्रतिगृहण विधिक सम्बन्धों को प्रस्थापित करने के आशय से लिया जाना चाहिये ।

परन्तु भारतीय विधि तथा अंग्रेजी विधि दोनों में ही इस प्रकार के आशय को संविदा सृजित करने के लिये आवश्यक माना जाता है ।

वनवारी लाल वनाम सुदर्शन दयाल, (1973)

1. एसं. 0 सी0 सी0 214

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भूखण्ड विक्री के लिये था न कि और वह वन्धकारी नहीं था परन्तु अंग्रेजी विधि में यह स्थापित हो चुका है कि संविदा स्थापित करने के लिये प्रस्थापक और प्रतिगृहीता के वीच विधिक संवंध स्थापित करने का आशय होना चाहिये ।

डारलिम्पल बनाम डारलिम्पल, (1811) के मामले में लार्डस्टोवेल

संविदा फालतू समय की मजाक वाजी नहीं है, जिसमें कि पक्षकार विधिक प्रभावों का कोई विचार नहीं रखते हैं ।

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी का 100 पौंड देने का प्रस्ताव इजहाज मात्र था और उसके प्रतिग्रहण से विधिमान्य प्रतिग्रहण का सृजन नहीं होता है ।

विधिक संबंध के सृजन के आशय की कसौटी

विधिक संबंध के सृजन के आशय की जाँच वस्तुगत ढंग से की जानी है न कि व्यक्तिगत ढंग से । पक्षकारों के दिमागों में क्या था इसका कोई महत्व नहीं है । यदि युक्तयुक्त व्यक्ति पक्षकारों का आशय विधिक संबंध स्थापित करने का रहा है और इस स्थिति में वह वचन से आवद्ध हो जाता है ।

पृस्थापना-

पृस्थापना करार या संविदा का प्रथम चरण है । धारा 2 (क) के अनुसार अर्बाल एक व्यक्ति, किसी वात को करने या करने से पृविरत रहने की अपनी रजामन्दी किसी अन्य को उस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरत ले प्रति उस अन्य की अनुमति प्राप्त करें तव वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है ।

व्याख्या-

पृस्थापना में दो तत्व महत्वपूर्ण हैं-- पहला यह कि पृस्थापना द्वारा एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या उससे पृविरत रहने की रजामन्दी दूसरे को स्पष्ट करता है दूसरा स्थापना दूसरे

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

व्यक्ति की अनुमति (रजामन्दी) प्राप्त करने हेतु होनी चाहिये ।

विधिक प्रस्थापना के आवश्यक तत्व--

विधिक प्रस्थापना के आवश्यक तत्व निम्न हैं--

(i) पृस्थापना की संसूचना

(ii) पृस्थापना का उद्देश्य

(iii) विधिक सम्बन्ध सृजिद करने का आशय

(iv) पृस्थापना की निश्चितता

पृस्थापना के प्रकार- पृस्थापना के निम्नलिखित प्रकार हैं--

(1) सामान्य पृस्थापना

(2) विशिष्ट पृस्थापना

(3) अभिव्यक्त पृस्थापना

(4) विवक्षित पृस्थापना

(5) क्रास-पृस्थापना

(6) प्रति-पृस्थापना

(7) स्थायी या चलत पृस्थापना

1. सामान्य पृस्थापना-

सामान्य पृस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो जनसराधारण को की जाती है परन्तु संविदा केवल उसी या उन्हीं व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ होती है जो पृस्थापना की शर्तों को पूरा करता है या करते हैं ।

सामान्य पृस्थापना के सम्बन्ध में निदर्शक वाद हैं-

कारलिल बनाम कारबोलिक स्मॉक बॉल कं0--

उक्त वाद में कम्पनी ने यह विज्ञापन दिया कि कम्पनी द्वारा उत्पादित कोरबोलिक स्मॉल बॉल की प्रयोग उस पर लिखित निर्देशों के अनुसार करेगा और उसके बाद इन्फ्लूएन्जा से पीड़ित होगा तो कम्पनी उसे 100 पौंड इनाम के रूप में देगी । उक्त निर्देशों के अनुसार उक्त नियम का प्रयोग करने पर भी कारलिल नाम औरत को इन्फ्लूएन्जा हो गया और उसने कम्पनी से 100 पौंड की माँग की । जिसे कम्पनी ने अस्वीकार कर दिया । कारलिल ने न्यायालय में इनाम का दावा किया ।

2. विशिष्ट पृस्थापना-

विशिष्ट पृस्थापना से तात्पर्य ऐसा पृस्थापना से है जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से ली जाती है । यह केवल उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समुह द्वारा की जा सकती है जिसको की गयी है कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसी की स्थिति हो, उसे स्वीकार नहीं कर सकता है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

3. अभिव्यक्त पृस्थापना-

अभिव्यक्त पृस्थापना से तात्पर्य ऐसी पृस्थापना से है जो मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा की जाती है ।

4. विवक्षित पृस्थापना-

जो पृस्थापना आचरण द्वारा की जाती है या शब्दों से भिन्न प्रकार की जाती है उसे विवक्षित पृस्थापना कहते हैं ।

धारा 9 के अनुसार जहाँ की किसी वचन की पृस्थापना या पृतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है । जहाँ तक कि ऐसी पृस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है ।

5. क्रास प्रस्थापना-

यदि दो व्यक्तियों द्वारा समान शर्तों वाली पृस्थापना डाक में एक दूसरे को पार कर जाये, तो उसे क्रास पृस्थापना कहते हैं ।

6. प्रति-प्रस्ताव-

धारा 7 के अनुसार पृस्थापना को वचन में संपरिवर्तन करने के लिये ही होना चाहिये। जो प्रतिग्रहण प्रस्थापना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता अथवा परिवर्तन के साथ किया जाता है, उसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं ।

7. स्थायी या चलत पृस्थापना

स्थायी या चलत पृस्थापना से तात्पर्य ऐसी पृस्थापना से है जो स्वीकार करने के लिये एक अवधि तक कायम रहती है । उदाहरण के लिये, 'क', 'ख' से यह पृस्थापना करता है कि वह अप्रैल 2009 से मार्च 2008 की अवधि में 50 मन चावल 150 रु0 प्रति मन की दर से उसे बेचेगा यह स्थायी अथवा चलत पृस्थापना है ।

पृस्थापना तथा पृस्थापना के लिये निमंत्रण-

धारा 2(क) में पृस्थापना की परिभाषा दी गयी है जिससे स्पष्ट है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कोई कार्य करने के लिये या कार्य से अविरत रहने की इच्छा व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो वह वचन हो जाती है । लेकिन पृस्थापना के लिये निमंत्रण की दशा में निमंत्रण देने वाले व्यक्ति का आशय यह होता है कि जिस व्यक्ति को निमंत्रण देता है कि वह पृस्थापना करे । पृस्थापना के लिये निमंत्रण की स्वीकृति पर वचन का सृजन नहीं होता है ।

केटेलाग तथा मल का प्रदर्शन-

किसी दुकानदार की दुकान में प्रदर्शित मूल्य सूची पृस्थापना नहीं होती । यह केवल क्रेताओं का निमंत्रण है कि प्रदर्शित मूल्यों के अनुसार, वह पृस्थापना कर सकते हैं । दूसरे शब्दों में, किसी वस्तुओं की मूल्य सूची देना, वस्तुओं का मूल्य खिड़की या आलमारी पर रख देना या स्वयं सेवा प्रणाली प्रस्थापना नहीं बल्कि पृस्थापना के लिये निमंत्रण होती है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

उक्त परिस्थितियों में विक्रय तब संपूर्ण होता है जब ग्राहक वस्तुओं को सूचित मूल्य पर वस्तु को खरीदने के लिये प्रस्ताव भरता है और दुकानदार उसे स्वीकार कर लेता है ।

नीलामी (Auction)-

नीलामी के लिये दिया गया विज्ञापन पृस्थापना नहीं वल्कि पृस्थापना के लिये निमंत्रण है । निविदा या टेण्डर ऐसा विज्ञापन है जो निविदा अथवा टेण्डर आमंत्रित करता है वैसी सूचना पृस्थापना नहीं बल्कि पृस्थापना के लिये निमंत्रण होती है । टैण्डर में सह शर्त होने पर कि टेण्डर वापस नहीं लिया जायेगा, टेण्डर पेश करने वाला टेण्डर वापस ले सकता है ।

मानव रूपी संविदायें--

मानव रूपी संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें पृस्थापना की शर्तें लिख तथा छपा ली जाती हैं और दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है । दूसरे पक्षकार को लिख एवं छपी शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है । ऐसी संविदायें अधिकांशतः ऐसे विषय से संबंधित होती हैं जिनके संबंध में यह आवश्यक होता है कि संविदा की शर्तें सभी के लिये समान हों । उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति रेलवे के क्लाक रूम में अपना सामान रखता है और रेलवे के अधिकारी उसे एक रसीद देता है और उस रसीद पर यह छपा है कि यदि किसी यात्री के सामान का मूल्य 2000 रुपया से अधिक है तो रेलवे उसके खो जाने पर उत्तरदायी नहीं होगी । सामान रखने वाला व्यक्ति इस शर्त से वाध्य होगा ।

लिली व्हाइट बनाम मुन्नूस्वामी, ए0आई0आर0 1966 मद्रास 13 के वाद में धुलाई रसीद में एक शर्त का उल्लेख था कि वस्त्र की हानि होने पर ग्राहक वस्त्र के बाजार मूल्य का पचास प्रतिशत पाने का हक होगा । वादी का वस्त्र खो गया । प्रतिवादी ने वस्त्र का आधा मूल्य देने के लिये तैयार था लेकिन वादी ने लेने से इन्कार कर दिया तथा न्यायालय में वाद दायर कर दिया जिसमें न्यायालय ने कहा रसीद पर छपी शर्तें अयुक्तियुक्त तथा लोकिनीति के विरुद्ध है और इसे यदि मान लिया जायेगा तो वेईमानी को बढ़ावा देना होगा ।

संविदा के मूलभूत भंग का सिद्धान्त-

संविदा की कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो संविदा का आधार होती हैं । यदि कोई पक्षकार इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो कहा जाता है कि उसने संविदा का मूलभूत भंग किया है । यह सिद्धान्त अर्थान्वयन का एक नियम है और संविदा के पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है ।

प्रतिगृहण -

पृतिगृहण की परिभाषा धारा 2(ख) में दी गई है, जवकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है । प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है ।

व्याख्या- प्रतिग्रहण का संविदा सृजन में महत्वपूर्ण योगदान होता है । बिना पृस्थापना के प्रतिगृहण के संविदा का सृजन नहीं हो सकता है । ऐन्सन के शब्दों में "पृतिग्रहण का पृस्थापना

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

पर वही प्रभाव होता है जो वा रूद पर जलती हुई दियासलाई का, दोनों ऐसा कार्य करते हैं जो मिटाया नहीं जा सकता ।" यह नियम केवल डाल दिये गये प्रतिग्रहणों तक ही सीमित होता है।

विधिमान्य पृतिग्रहण के आवश्यक तत्व-

विधिमान्य पृतिग्रहण के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है–

1. पृतिग्रहण की सूचना
2. पृतिग्रहण का ढंग
3. पृतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित
4. पृस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिये ।

1. पृतिग्रहण की सूचना– पृस्थापना या उसके अभिकर्ता को प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापना को दी जानी आवश्यक है । पृस्थापना के पृतिग्रहण की सूचना पृस्थापक को दी जानी चाहिये ।

भगवानदास बनाम गिरधारीलाल (1966), 1 एस0 सी0 आ0 656 के मामले में उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति शाह ने कहा–

केवल मस्तिष्क की दशा से कोई करार उत्पन्न नहीं होता, पृस्थापना को स्वीकार करने की इरादा या आशय से ही केवल संविदा नहीं हो जाती । इस आशय का कोई न कोई साक्ष्य मिलना चाहिये । चाहे लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा ।

प्रतिग्रहण की संसूचना कब आवश्यक नहीं–

कुछ परिस्थितियों में प्रतिग्रहण की संसूचना आवश्यक नहीं है । जब प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक के हित में होती है तो वह चाहे तो प्रतिग्रहण की सूचना प्राप्ति के अपने अधिकार को जोड़ सकता है । सामान्य प्रस्ताव की दशा में प्रस्थापक को प्रस्थापना की स्वीकृति की संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती है । क्योंकि ऐसी दशा में यह मान लिया जाता है कि प्रस्थापक ने संसूचना प्राप्त करने का अपने अधिकार को छोड़ दिया है । सामान्य पृस्थापना की दशा में पृस्थापना की शर्तों को पूरा किया जाना ही प्रस्ताव का प्रतिग्रहण माना जाता है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संविदा हो जाती है जो उनकी शर्तों को पूरा करते हैं ।

(कारलिल बनाम कारबोलिक स्मृक बाल कं. (1895) । न्यू0 वी0 256)

किसी खोई वस्तु के बदले इनाम की घोषणा इस प्रकार की पृस्थापना है ।

प्रतिगृहीता के किसी आचरण को पृस्थापना ने आचरण द्वारा प्रतिग्रहण के बराबर मान लिया जाता है ।

संविदा कब उत्पन्न होती है-

डाक (पत्र) द्वारा संविदा प्रतिग्रहण का पत्र (डाक) में डाल देते समय उत्पन्न होता है या पृस्थापक को मिलने पर ।

प्रतिग्रहण की संसूचना– पृस्थापक के विरुद्ध तब सम्पूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति के बाह ही जाये-

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

प्रतिगृहीता के विरुद्ध तव संपूर्ण हो जाती है जव वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है।

इंग्लिश और भारतीय विधि में अन्तर-

इंग्लिश विधि के अनुसार प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डालते ही दोनों पक्षकार वाध्य हो जाते हैं जबकि भारतीय संविदा विधि की धारा 4 के अन्तर्गत प्रतिगृहीता पत्र भेजने पर वाध्य नहीं हो जाता वह तभी बाध्य होता है कि जब पत्र प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाये ।

टेलीफोन अथवा टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण-

टेलीफोन अथवा टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण की दशा में प्रतिग्रहण की संसूचना तव पूर्ण होती है जबकि वह प्रस्थापक को प्राप्त हो जाती है और संविदा उसी स्थान पर होती है जहाँ पर प्रस्थापक प्रतिग्रहण की संसूचना को प्राप्त करता है । यदि किसी व्यवधान के कारण प्रतिग्रहण की सूचना पूर्ण नहीं होती है तो टेलीफोन पर अपनी स्वीकृति दोवारा देनी चाहिये जिससे प्रस्थापक सुन सके ।

भगवानदास बनाम गिरधारी लाल एण्ड कम्पनी, ए0आई0आर0 1966 एस0 सी0 543 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि टेलीफोन अथवा टेलेक्स की स्थिति में डाक या तार द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना देने के नियम लागू नहीं होते हैं वल्कि सामान्य नियम लागू होता है कि प्रतिग्रहण की सूचना तभी पूर्ण होती है जबकि प्रस्थापक को प्राप्त हो जाती है और संविदा उस स्थान पर होती है जहाँ पर प्रस्थापक प्रतिग्रहण की सूचना प्राप्त करता है इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने एण्टोर्स लि0 बनाम माइल्स फार ईस्ट कार्पोरेशन (1950) में कोर्ट आफ अपील ने यहा निर्णय दिया था कि टेलेक्स तुरन्त संचारण का एक तरीका है और ऐसे तरीकों के बारे में नियम डाकखाने तथा संचारण से भिन्न है।

अनन्तिम प्रतिग्रहण--

जब प्रतिग्रहम के साथ यह शर्त लगा दी जाती है कि प्रस्थापना का अन्तिम अनुमोदन बाकी है तो इसे अनन्तिम प्रतिग्रहण कहते हैं । ऐसी दशा में दोनों पक्षकार ऐसे अनन्तिम प्रतिग्रहण से बाध्य नहीं होते और उक्त अनुमोदन के पूर्व प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना वापस ले सकता है और प्रतिगृहीता अपना अनुमोदन न देकर प्रस्थापना को अस्वीकार कर सकता है .

प्रतिग्रहण का ढंग--

यदि प्रस्थापक या प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण या स्वीकृति का कोई ढंग नियत कर दिया है और प्रतिग्रहण उस उल्लिखित ढंग से किया जाता है तो करार हो जायेगा, भले ही प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक को प्रतिग्रहण का ज्ञान नहीं होता है । धारा 7 में यह उपबन्धित है कि यदि प्रतिग्रहण का ढंग विहित कर दिया गया है तो प्रतिग्रहण उसी ढंग से किया जाना चाहिये परन्तु प्रतिग्रहण उसी ढंग से किया जाना चाहिये परन्तु यदि प्रतिग्रहण का ढंग विहित नहीं किया गया तो प्रतिग्रहण सामान्य तथा युक्तियुक्त डंग से किया जाना चाहिये ।

यदि प्रस्थापक ने प्रतिग्रहण का कोई ढंग विहित कर दिया है और उसे ढंग से प्रतिग्रहण नहीं किया जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा ?

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

यदि प्रतिग्रहण का ढंग विहित लिया गया है और प्रतिगृहीता उस विहित ढंग से प्रतिगृहण नहीं करता है तो प्रतिग्रहण स्वयं रद्द नहीं होगा । धारा 7 के अनुसार ऐसी दशा में प्रतिग्रहम स्वयं रद्द नहीं होगा ।

प्रतिग्रहण पूर्व और शर्त रहित- (धारा 7)

के अनुसार प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्तरहित होना चाहिए । यदि प्रस्थापना प्रतिग्रहीता द्वारा परिवर्तनों के साथ स्वीकार की जाती है तो वह प्रतिग्रहण विधिक नहीं होगा और संविदा सृजन के लिये तव तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक प्रस्थापक उसको स्वीकार नहीं करता है । जो प्रतिग्रहण प्रस्थापना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता है अथवा प्रस्थापना का प्रतिग्रहण परिवर्तनों के साथ किया जाता है अथवा प्रस्थापना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता है उसे प्रति प्रस्ताव अथवा प्रति स्थापना कहते हैं ।

धारा - 7 प्रतिग्रहण आत्याधिक होना ही चाहिये--

प्रस्थापना को वचन में सपरिवर्तन करने के लिये प्रतिग्रहण-

1. आमान्त्रिक और अवशोषित होना ही चाहिये ।

2. किसी तामिल और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिये, जब तक कि प्रस्थापना विहित न भरता हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है । यदि प्रस्थापना विहित भरती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाये तो प्रस्थापक उसे प्रतिग्रहण संसूचित किये जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से ही प्रतिगृहीत की जाये अन्यथा नहीं । पृस्थापना कर प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति के पहले होना चाहिये-

पृस्थापना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने अथवा उसके प्रतिग्रहण के वाद किया जाता है तो संविदा का निर्माण नहीं होगा ।

धारा- 5 प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण- धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध सम्पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

धारा 6- प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है--

1. प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहार की सूचना के संसूचित किये जाने से :

2. ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिये विहित समय के बीत जाने से या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो युक्तियुक्त समय बीत जाने से,

3. प्रतिग्रहण किसी पुरोभात्य शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहीता की असफलता से; ्थवा

4. प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिगृहण से पूर्व आ जाए ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

व्याख्या--

पृस्थापना का प्रतिसंहरण का ढंग--

प्रस्थापना का प्रतिसंहरण निम्नलिखित परिस्थितियों में हो जाता है--

1. प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना देकर--

प्रस्थापन प्रश्तापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना देकर प्रतिसंहत हो जाता है धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिगृहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध सम्पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत की जा सकेगी ।

2. प्रतिग्रहण के लिये विहित समय अतवा युक्तियुक्त समय की समाप्ति पर--

युक्तियुक्त का प्रतिग्रहण उसमें विहित समय के भीतर किया जाना चाहिये । युक्तियुक्त समय प्रत्येग वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

धारा 8- शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण--

किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन, या व्यक्तिकारी वचन के लिये, जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो ।

धारा 9- वचन, अभिव्यक्ति और विवक्षित

जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है । जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किसी जाता है ।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- संविदा सभी प्रकार के सिविल बाध्यताओं तक विस्तृत नहीं होती । संविदा तिथि स्वयं को उन्हीं बाध्यताओं के प्रवर्तन तक सीमित रहती है ।
- करार प्रस्थापना और स्वीकृति का परिणाम है ।
- शून्य करार को सदैव अवैध होना आवश्यक नहीं है लेकिन अवैध करार सदैव शून्य होते हैं ।
- करार धारा 23 के अन्तर्गत अवैध होते हैं ।
- अवैध करार से सम्बन्धित सापार्शिक करार भी होते हैं ।
- मानक रूपी संविदा का कई नाम से जाना जाता है, जैसे विधि, विधान, अनिवार्य संविदा आदि ।
- भारतीय विधि में प्रतिफल वचनगृहीता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है ।
- प्रतिफल से अपिरिचित संविदा को प्रवर्तित करा सकता है बशर्ते वह संविदा का पक्षकार हो और संविदा के लिये प्रतिफल किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो ।
- भारत में प्रतिफल से अपिरिचित व्यक्ति द्वारा संविदा प्रवर्तित कराने पर महत्वपूर्ण वाद

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

चिन्नमा वनाम रमैय्या (1882) 4 मद्रास 137 है ।

- संविदा सम्बन्ध से अभिप्राय है । संविदा से अरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता है ।
- जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकता ।
- भारत में संविदा सम्बन्ध सिद्धान्त पर प्रमुख वाद जमुनादास वनाम राम अवतार (1911) है ।

समस्या एवं समाधान--

समस्या 1. क, ख को कुछ सम्पत्ति अन्तरित करता है और ख, क की बूढ़ी माँ को 500 रु0 प्रतिमाह उसके जीवन काल तक देने के लिये सहमत होता है । क करार करने के बाद मर जाता है । ख, क की माँ को कोई भी धन देने से इन्कार कर देता है । बूढ़ी औरत को ख के विरुद्ध क्या अधिकार उपलब्ध है ?

समाधान-- जब किसी विशिष्ट सम्पत्ति में किसी व्यक्ति के लिये किसी भार अथवा हित का निर्माण किया जाता है, तो वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार न होते हुए उसे प्रवर्तित कर सकता है ।

समस्या 2-- ए0 एण्ड कम्पनी ने अखबारों में विज्ञापन द्वारा बने बनाए ऊनी कपड़े तथा उनके शोरुम में लगे माल की कम दामों पर बिक्री की घोषणा की । सब सामान पर मौलिक व घटे हुए दाम लिख दिये गये व जिसने विज्ञापन पढ़ा, एक ऊनी सूच जिस पर मौलिक दाम 400 रु0 तथा घटे हुए दाम 200 रुपये लिखे थे, पसन्द किया । ब ने ए एण्ड कम्पनी के विक्रेता को 200 रु0 दिया जिसने पैसा स्वीकार करने व ब को सूट देने से इन्कार कर दिया । व तथा एण्ड कम्पनी के अधिकारों की विवेचना कीजिये ।

समाधान-- प्रस्ताव के निमन्त्रण के बारे में ऐन्सन महोदय ने यह मत व्यक्त किया है-- "एक दुकानदार जो दुकान की खिड़की पर मूल्य के पर्चे के साथ माल रखता हा या स्वयंसेवी दुकान रखता है, स्वयं को उस कीमत पर बेचने के लिये निमंत्रण है । ग्राहण उस निमंत्रण पर सामान खरीदने के लिये प्रस्ताव करता है तथा दुकानदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है ।"

समस्या 3- अ स्वीकृति पत्र ब के पास भेजता है जो ब को नहीं मिलता है । जब अ, ब पर संविदा लागू करने का दावा करता है तो ब तर्क देता है कि अ के साथ कोई संविदा नहीं हुई । निर्णय कीजिये ।

समाधान-- दी गयी समस्या भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 (प्रतिग्रहण की संसूचना) से सम्बन्धित है ।

धारा 4 के पैरा 2 के अनुसार, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है, जब वह उसके प्रति, इस प्रकार के परेषण के अनुसार, अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाये ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

समस्या 4-- अ ब को स्वीकृति का पत्र डाक द्वारा भेजता है परन्तु पत्र डाक घर की लापरवाही की वजह से खो जाता है। संविदा के उद्‌भूत होने में उसका क्या असर पड़ेगा ?

समाधान- भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 जो संसूचना के सम्बन्ध में है, निम्न है--

किसी प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जबकि उस व्यक्ति के, जिसको कि वह की गई, ज्ञान के आ जाती है ।

स्वीकृति की संसूचना-- जहाँ तक प्रस्तावकर्ता का सम्बन्ध है स्वीकृति तब पूर्ण हो जाती है जबकि वह उसके पास भेजने के लिये परेषण के अनुक्रम में ऐसे की गई है कि स्वीकृतिदाता की शक्ति के बाहर हो गयी है कि स्वीकृतिदाता की शक्ति के बाहर हो गयी है और जहाँ तक कि स्वीकृतिदाता का सम्बन्ध है, तब पूर्ण हो जाती है जबकि वह प्रस्तावकर्ता के ज्ञान में आ जाती है ।

समस्या 5--अ, ब को डाक द्वारा एक प्रस्ताव भेजता है ब स्वीकृति का पत्र डाक द्वारा भेजता है परन्तु उसके वाद स्वीकृति का प्रतिसंहरण तार द्वारा भेजता है क्या अ तथा ब के बीच प्रवर्तनीय संविदा पूरी हो गयी ? क्या उत्तर कुछ भिन्न हो यदि स्वीकृति का पत्र तथा तार ब को एक साथ प्राप्त हुये होते ?

समाधान-- भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 के अनुसार किसी प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जबकि उस व्यक्ति के, जिसको कि वह की गयी हो, ज्ञान में आ जाती है ।

प्रतिसंहरण की संसूचना-- जहाँ तक कि उसके करने वाले व्यक्ति का सम्बन्ध है प्रतिसंहरण तब पूर्ण हो जाता है जबकि वह उस व्यक्ति के पास भेजने के लिये, जिससे वह किया गया है, पारेषण के अनुसार, अनुक्रम में ऐसे कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से, जो उसे करता है बाहर हो गया है उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिससे प्रतिसंहरण किया गया है, तब संपूर्ण दी जाती है, जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है ।

समस्या 6- क, ख स्कूटर खरीदने का प्रस्ताव करता है और मूल्य को चैक द्वारा देता है । ख चैक और प्रस्ताव अस्वीकृत कर देता है । क्योंकि वह क को नहीं जानता था तब तक क अपने को एक मशहूर व्यक्ति के रूप में ख का परिचय देता है । ऐसा समझने के बाद ख चैक को स्वीकार कर लेता है और क को स्कूटर ले जाने देता है । क स्कूटर ग को बेच जेता है । चैक बेकार साबित हो जाती है, ख ग से स्कूटर प्राप्ति के लिये वाद दायर करता है क्या ख अपने दावे में सफल होगा ।

समाधान- प्रश्नगत समस्या पक्षकारों के पहचानने में भूल या कपट से सम्बन्धित है । जहाँ पक्षकार आमने-सामने नहीं होते हैं और किसी पक्षकार को पहचानने में भूल के अधीन संविदा हो जाती है तो संविदा शून्य हो जाती है । परन्तु जब पक्षकार आमने- सामने होते हैं उस स्थिति में पक्षकारों को पहचानने में भूल के अधीन की गयी संविदा में विषय में विधि की स्थिति

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

सुनिश्चित प्रतीत नहीं होती है ।

फिलिप्स वनाम ब्रुक्स लिमिटेड, (1919) 2 के0 वी- 243 के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जव पक्षकार आमने-सामने होते हैं तो ऐसी स्थिति में आशय अपने सामने खड़े व्यक्ति के साथ संविदा करने का होता है और परिणामस्वरुप पक्षकार को पहचानने में भूल के कारण संविदा शून्य नहीं होगी । इस वाद में नार्थ नामक व्यक्ति वादी की दुकान पर गया और हीरे की अंगूठियाँ पसन्द किया । मूल्य देने के लिये उसने चैक लिखा और चैक लिखते समय अपना नाम सर जार्ज वुलो वताया दुकानदार ने उसका चैक स्वीकार कर लिया । नार्थ ने वह अंगूठी वापस पाने के लिये प्रतिवादी के विरुद्ध वाद चलाया ।

लेवस वनाम ऐवरे, (1972), क्यू0 वी0 198 के वाद में भी लेविस अपनी कार वेचना चाहता था । एक व्यक्ति जिसने कपटपूर्ण ढंग से अपने को एक प्रसिद्ध अभिनेता (रिचर्ड ग्रहैन) वताया, चैक द्वारा मूल्य का भुगतान करके कार प्राप्त कर लिया और कार प्रतिवादी से वापस लेने के लिये वाद चलाया । न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा कपट के कारण शून्यकरणीय थी । चूँकि उक्त संविदा के विखण्डन से पूर्व ही कार प्रतिवादी को वेच दिया गया जो निर्दोष क्रेता था अतः विधिमान्य स्वामित्व प्राप्त हो गया और इसलिये लेविस (वादी) प्रतिवादी से कार वापस नहीं ले सकता ।

समस्या 7- 10 अप्रैल 1990 का अ ने व को अपनी कार 60 हजार रुपये में बेचने की प्रस्थापना की और व को 18 अप्रैल, 1990 तक अपने प्रतिग्रहण की संसूचना देनी थी । 12 अप्रैल, 1990 को अ ने अपने प्रस्थापना का प्रतिसंहरण लिये बिना अपनी कार ग को 70 हजार में वेच दिया । 14 अप्रैल 1990 को व को अन्य स्रोतों से इस तथ्य का पता चल गया । फिर भी 16 अप्रैल, 1990 को उसने प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की संसूचना अ को दी । क्या इससे अ एवं व के बीच वाध्यकारी करार हो गया है ?

समाधान– प्रस्तुत समस्या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 6 पर आधारित है । इस समस्या में अ और व के मध्य वाध्यकर संविदा का निर्माण हुआ है । क्योंकि अ ने अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण किये विना कार ग को वेच दिया गया है और व समय सीमा के भीतर अ के प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की संसूचना दे दिया है ।

समस्या 8- क, ख की भूमि को कुछ निश्चित शर्तों पर लेने का प्रस्ताव करता है । ख को अपनी स्वीकृति चार सप्ताह के अन्दर देनी है उसी समय के अन्दर ख प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र में शर्तों के सम्वन्ध में तात्विक भिन्नता है । तव तक अपने प्रस्तावित मूल्य शर्तों को स्वीकार है । ख पुनः उसी सप्ताह के अन्दर प्रथम स्वीकृति पत्र की गलतियाँ सुधारते हुये क द्वारा प्रस्तावित मूल्य शर्तों को स्वीकार करता है क्या क और ख के मध्य संविदा का निर्माण हुआ है ? क्या ख की क के विरुद्ध कोई उपचार उपलब्ध है ?

ISBLAW College

Scanned with CamScanner

समाधान-- धारा 7 के अनुसार प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिये । यदि प्रस्ताव उसकी शर्तों के अनुसार प्रतिग्रहीता द्वारा नहीं किया जाता अथवा परिवर्तन करके स्वीकार किया जाता है तो प्रतिग्रहण विधिक नहीं होगा जब तक कि प्रस्थापक उसको स्वीकार नहीं करता है ।

संविदाओं, शून्यकरणीय, संविदाओं और शून्य करारों के विषय में--

कौन से करार संविदायें हैं--

धारा- 10 के अनुसार वे सब करार संविदायें हैं, यदि वे संविदा करने के लिये सक्षम पक्षकारों की संवतन्त्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिये और विधिपूर्ण उद्देश्य से किये गये हैं और एतद्द्वारा अभित्यक्त शून्य घोषित नहीं किये गये हैं लेकिन उक्त धारा की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ किसी विधि के अन्तर्गत संविदा लिखित रूप में या साक्षियों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो या किसी विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण सं सम्बन्धित है ।

संविदा करने के लिये कौन सक्षम है--

धारा- 11 के अनुसार, हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिये सक्षम है, जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तवय हो, और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा, जिस विधि के वह अधीन है, उसके द्वारा संविदा करने अयोग्य न किया गया हो ।

इस प्रकार धारा 11 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति संविदा करने के लिये सक्षम हैं, जब

(1) वह प्राप्त वय हो,

(2) वह स्वस्थचित्त हो, एवं

(3) वह किसी विधि द्वारा जिसके अधीन है निरर्हित न हो ।

राजरानी बनाम प्रेम अदीब,

57 बम्बई एल0आर0ए0 के मामले में एक फिल्म निर्माता और एक अप्राप्तवय लड़की के बीच एक संविदा की गयी थी ।

संविदा करने के प्रयोजनों के लिये स्वस्थचित्त क्या है--

धारा 12 के अनुसार कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिये स्वस्थचित्त कहा जाता है, यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में समर्थ है ।

जो व्यक्ति प्रायः विकृतचित्त रहता है किन्तु कभी-कभी स्वस्थचित्त हो जाता है वह जब स्वस्थचित्त हो तब संविदा कर सकेगा ।

जो व्यक्ति प्रायः स्वस्थ चित्त रहता है किन्तु कभी - कभी विकृतचित्त हो जाता है, वह जब विकृतचित्त हो तब संविदा नहीं कर सकेगा ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

सम्मति (CONSENT)

संविदा के दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य आवश्यक है । इस प्रकार संविदा के निर्माण के लिये वास्तविक सम्मति होनी चाहिये । यदि भूल के कारण वास्तविक सम्मति उत्पन्न नहीं होती है तो संविदा का निर्माण नहीं होता है ।

संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, वह सभी करार संविदा होते हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा अपनी स्वतन्त्र सम्मति द्वारा किये जाते हैं, उनका प्रतिफल तथा उनका उद्देश्य वैध होता है, तथा उन्हें किसी विधि द्वारा व्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया है । अतः धारा 10 के अनुसार एक वैध संविदा के लिये पक्षकारों की स्वतन्त्र सम्मति आवश्यक तत्व है ।

सम्मति की परिभाषा- धारा 13 के अनुसार--

"जब कि दो या अधिक व्यक्ति एक-सी ही बात पर एक से ही भाव में करार करते हैं तब उनके बारे में कहा जाता है कि वे सम्मत हुए" इसे एक ही बात पर और एक ही अर्थ में मतैक्य होना कहते हैं । जब तक कि पक्षकारों का एक ही बात पर किसी प्रस्ताव की स्वीकृति उसी के अनुसार होनी चाहिये ।

स्वतन्त्र सम्मति की परिभाषा- धारा 14 के अनुसार--

"जबकि सम्मति-

(1) धारा 15 में यथापरिभाषित उत्पीड़न से, या

(2) धारा 16 में यथापररिभाषित असम्यक्, असर से या

(3) धारा 17 में यथापरिभाषित कपट से, या

(4) धारा 14 में यथापरिभाषित मिथ्या व्यपदेशन से, या

(5) धारा 20, 21 और 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भूल से

न कराई गई हो तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वतन्त्र है ।"

सम्मति के दोष-- धारा 14 के अनुसार स्वतन्त्र सम्मति में निम्नलिखित दोष हो सकते हैं--

कपट

परिभाषा-

धारा 17 के अनुसार कपट से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसी कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा, संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिय उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो--

1. जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है ।
2. किसी तथ्य की ज्ञान या विश्वास् रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना,
3. कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय से बिना दिया गया हो,

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

4. प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य ।

5. कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे ।

स्पष्टीकरण-- संविदा करने के लिये किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रकना कपट नहीं है जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों जिन्हें ध्यान में रखते हुये मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बोले या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य न हो ।

भूल --

जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात सम्बन्धी भूल में हो तब करार शून्य है--

धारा 20 के अनुसार जहां की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में, जो करार के लिये मर्मभूत है, भूल में हो वहाँ करार शून्य है ।

स्पष्टीकरण-- जो चीज करार की विषयवस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय, तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जायेगी ।

भूल दो प्रकार की होती है--

1. तथ्य की भूल एवं
2. विधि की भूल ।

संविदा के प्रयोजन के लिये तथ्य की भूल को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-

(i) तथ्य के सम्बन्ध में एक पक्षकार की भूल, एवं

(ii) तथ्य के सम्बन्ध में दोनों पक्षकारों की भूल ।

इसी प्रकार विधि की भूल को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है-

(i) देश की साधारण विधि के सम्बन्ध में भूल;

(ii) विदेशी विधि के सम्बन्ध में भूल'

(iii) व्यक्तिगत अधिकारों के सम्बन्ध में भूल ।

JSB LAW College

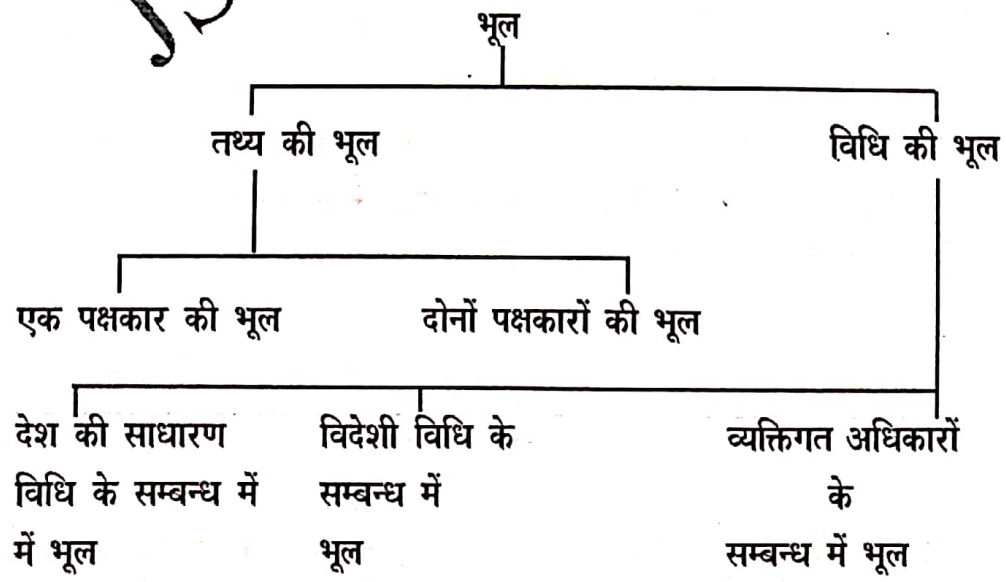

Scanned with CamScanner

भूल की परिभाषा--

धारा 20 के अनुसार "करार के मर्मभूत तथ्य के बारे में भूल से करार शून्य हो जाता है ।"

धारा 20 के अधीन करार के शून्य होने की शर्तें--

(i) जब दोनों पक्षकारों द्वारा भूल हुई हो ।

(ii) भूल किसी तथ्य के बारे में हो ।

(iii) वह तथ्य करार के लिये मर्मभूत हो ।

परन्तु यह उल्लेखनीय है कि एकपक्षीय भूल के आधार पर संविदा रद्द की जा सकती है यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि भूल दूसरे पक्षकार के कपट या मिथ्या व्यपदेशन के कारण हुई थी .

धारा 20 के अन्तर्गत करार तभी शून्य हो सकती है जबकि भूल किसी मर्मभूत तथ्य केविषय में हो । विधि सम्बन्धी भूल के आधार पर करार शून्य नहीं होगा ।

उत्पीड़न

उत्पीड़न की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 15 में दी गई है, जो निम्नलिखित है--

"उत्पीड़न ऐसे किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना है जो कि भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध है, या किसी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति पर, चाहे यह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये इस आशय से किसी व्यक्ति के करार में प्रवेश कराया जाये, विधि विरुद्ध तथा निरुद्ध करता है या निरुद्ध करने की धमकी देना है ।"

धारा 15 की व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि यह बात सारहीन है कि उस स्थान पर, जहाँ कि उत्पीड़न किया गया है, भारतीय दण्ड संहिता प्रवृत्त है या नहीं ।

उत्पीड़न के आवश्यक तत्व-- उत्पीड़न में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं--

1. किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना जो, भारतीय दण्ड संहिता द्वारा दण्डनीय घोषित है, या

2. किसी सम्पत्ति को निरुद्ध करने की धमकी देना या उसको विधि-विरुद्ध रूप से करना, या

3. प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये इस आशय से किसी व्यक्ति को विधि करार में प्रवेश कराया जाये ।

जहाँ पत्नी एवं पति के मध्य रखरखाव के भुगतान के समझौते में दोनों तरफ से समान संख्या में व्यक्ति उपस्थित थे तथा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि पति की ओर के व्यक्ति भौतिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल थे तथा समझौते में सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे तथा रखरखाव का धन अक्षरों एवं शब्दों दोनों में ही लिखा गया था पति का अभिवचन कि समझौता पति द्वारा उत्पीड़न एवं असम्यक् असर द्वारा हुआ था स्वीकार नहीं किया सकता ।

ISBLAW College

Scanned with CamScanner

असम्यक असर

सभी वैध संविदाओं के लिए स्वतन्त्र सम्मति आवश्यक है । अतः कोई भी असर जो पक्षकारों को अपनी स्वतन्त्र सम्मति देने से रोकता है, करार को अवैध कर देगा ।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 के अनुसार--

"जहाँ कि पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध ऐसे हैं कि पक्षकारों में एक-दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे में अपेक्षाकृत अनुचित प्रलाभ अभिप्राप्त करने के लिये करता है, वहाँ संविदा के बारे में कहा जा सकता है कि असम्यक् असर द्वारा उत्प्रेरित की गई है ।"

असम्यक् असर के आवश्यक तत्व--

(1) पक्षकारों का सम्बन्ध ऐसा हो कि एक-दूसरे की इच्छा को अभिशासित करने की स्थिति में हो । यहाँ पर यह नोट करना आवश्यक है कि केवल पक्षकारों का पारस्परिक सम्बन्ध सिद्ध करने से न्यायालय यह नहीं मान लेगा कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था । ऐसे रिश्ते या सम्बन्ध जो सार्वभौमिक रूप से माने जाते हैं उनका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि एक सम्बन्धी दूसरे पर असम्यक् असर डाल सकता था । यदि सलाह दी भी गई है तो सम्भव है कि असम्यक् असर न होकर केवल असर हो । यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि करार असम्यक् असर से ग्रसित थी तथा अन्तःकरण के विरुद्ध थी ।[1]

(2) यह ऐसी स्थिति को दूसरे के ऊपर अनुचित लाभ उठाने के लिये प्रयोग करता है।

(3) अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया है ।

दृष्टान्त

एक मुसलमान पर्दाशीन औरत ने अपने पति के विरुद्ध यह वाद दायर किया कि उसने कागजात अपने पति को उन पर ब्याज प्राप्त करने के लिये सौंपे थे तथा उसे उसी उद्देश्य के लिये पति के नाम पृष्ठांकित किये थे । पति का कहना था कि उसने पत्नी से उक्त कागजात खरीद लिये थे । पत्नी ने उक्त कागजात की कीमत प्राप्त करने के लिये पति के विरुद्ध वाद किया । पत्नी अपने वाद में अभिकथित बातें सिद्ध करने में असफल रही ।[2]

जो भी व्यक्ति पर्दानशीन स्त्री से संविदा करता है, यह सिद्ध करने का भार उसका है कि पर्दाशीन स्त्री ने संव्यवहार की प्रकृति तथा उसका प्रभाव समझ लिया था । चूँकि संव्यवहार से लाभ पति को पहुँचा था । यह सिद्ध करने का भार पति का है कि पत्नी की सम्मति असम्यक्

---

1. पी० सरस्वती अम्माल बनाम लक्ष्मी अम्माल, ए०आई०आर० 1978 मद्रास 361, 366, श्रीमती रमा डोगरा, ए०आई०आर० 1984 एच०पी० 11, 15
2. आई०ए०एम० (1977) प्रश्न 3 (ख)

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

अवसर से प्राप्त नहीं की गई । पति केवल इस आधार पर वाद नहीं जीत सकता कि पत्नी अपने वाद के तथ्य सिद्ध नहीं कर पाई ।

मिथ्या व्यपदेशन

परिभाषा– किसी संविदा के सारवान तथ्यों के मिथ्या प्रकटीकरण को मिथ्या व्यपदेशन कहते हैं । व्यपदेशन तभी असत्य हो सकता है कि वह सार तथा तथ्य दोनों में ही मिथ्या हो ।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार–

मिथ्या व्यपदेशन से अभिप्रेत और उसके अन्तर्गत है–

1. जो बात सत्य नहीं है, उसको ऐसी रीति में किया गया परिस्फुट प्रतिपादन है, जैसा कि उस व्यक्ति की, जो कि करता है, जानकारी से, यद्यपि उस बात के सत्य होने का विश्वास करता है, अधिदिष्ट नहीं है ।

2. कोई ऐसी कर्तव्य - भग्नता की है, जिससे कि धोखा देने के आशय के बिना वह भग्नता व्यक्ति के उसे करता है, या उसके अधिकार से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई प्रलाभ किसी दूसरे को ऐसे विमुख करके, जैसे कि दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव या दूसरे के अधिकार से दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, उठा लेता है ।

3. करार के किसी पक्षकार से उस बात के बारे में, चाहे कितनी ही निर्दोषिता से क्यों न हो, कोई भूल करता है जो कि उस करार की विषय है ।

कपट तथा मिथ्या व्यपदेशन में अन्तर–

कपट तथा मिथ्या व्यपदेशन में मुख्य अन्तर यह है कि कपट में किसी बात का सुझार करने वाला उसकी सत्यता में विश्वास नहीं करता है, जब कि मिथ्या व्यपदेशन में वह उसकी सत्यता में विश्वास करता है तथा दोनों ही तथ्यों का मिथ्या कथन भुला देता है ।[1]

मिथ्या व्यपदेशन का परिणाम– जब कि किसी करार के लिये सम्मति मिथ्या व्यपदेशन से कराई गयी हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो पक्षकार के विकल्प पर, जिसकी सम्मति ऐसे कराई गई थी, शून्यकरणीय है, संविदा में वह पक्षकार जिसकी सम्मति इस प्रकार कराई गई है, यदि वह ठीक समझता है, आग्रह कर सकता है कि संविदा का पालन किया जाये और उस स्थिति में रखा जाये जिसमें वह होता यदि किसी गया व्यपदेशन सत्य होता ।[2]

---

1. पोलक एण्ड मुल्ला, नोट 3, पृष्ठ 159
2. धारा 19

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

श्रीमती कमलावन्ती बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम के वाद में अपीलार्थी (मृतक नन्दलाल जगजीवन संघवी की विधवा पत्नी) ने भारतीय जीवन बीमा निगम के विरुद्ध अपने मृतक पति के जीवन बीमा पालिसी के आधार पर निगम के विरुद्ध 13000 रुपये प्राप्त करने के वाद किया । अपीलार्थी का नाम पालिसी में नामांकित था । मृतक के जीवन बीमे का प्रस्ताव 30 मार्च, 1964 को किया गया था तथा उसे जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकार किया गया था । नीचे के दोनों न्यायालयों ने वादी (अपीलार्थी) का वाद खारिज इस आधार पर कर दिया कि मृतक कारर्बकल तथा बहुमूत्र के रोगों से ग्रसित था तथा मृतक ने अपने व्यक्तिगत बयान में यह तथ्य छिपाये थे, अतः मिथ्या व्यपदेशन होने से बीमे का ररार शून्य हो गया, अतः अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील की । बीमा करवाने के समय मृतक की आयु 60 वर्ष की थी तथा 29 अक्टूबर 1965 को दिल की धड़कन बन्द होने से उसकी मृत्यु हो गई । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत बयान में जो प्रश्न थे उनमें कारर्बकल तथा बहुमूत्र का उल्लेख नहीं था । इन प्रश्नों का उत्तर मृतक ने नकारात्मक दिया था इन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि क्या कभी उसके मूत्र में पस, खून, चीनी या अल्बूमीन आयी थी ? उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस वाद की सबसे अजीब बात यह थी, यद्यपि कारर्बकल तथा बहुमूत्र सामान्य रोग है, प्रश्नोत्तरी में इसका उल्लेख नहीं था । चूँकि इनका विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं था मृतक का कर्त्तव्य नहीं था कि वह स्वंय इनका उल्लेख करता । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या मूत्र में चीनी जाती थी, यदि किसी के आती भी हो तो यह हो सकता है कि उसे ज्ञान न हो; अतः ऐसे में सम्भावना नहीं कि सम्बन्धित व्यक्ति का उत्तर नकारात्मक होगा । अतः उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तुत वाद के तथ्यों के आधार पर यह कहना सम्भव नहीं कि किसी प्रकार का वास्तविक या काल्पनिक मिथ्या व्यपदेशन हुआ । जीवन बीमा निगम ने जब 56 वर्ष के व्यक्ति का बीमा किया तो यह माना जायेगा कि उसी आयु के साथ सामान्यतया जो जोखिम होते हैं वह भी स्वीकार करे । अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी सम्मति ऐसे किसी मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर दी थी जिससे संविदा निगम के विकल्प पर शून्यकरणीय हो सकती थी ।[1] अन्त में न्यायालय ने धारित किया कि निगम अपीलार्थी की पालिसी की रकम ब्याज सहित देने को बाध्य है तथा दो महीनों के अन्दर दे ।[2]

---

1. ए०आई०आर० 1981, इलाहाबाद 371
2. ए०आई०आर० 1981, इलाहाबाद 373
   सी०एस०ई०(1990) प्रश्न 6 (अ) के लिए भी देखें ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

संविदा के उल्लंघन के लिये उपचार

बिना उपचार के अधिकार का कोई महत्व नहीं होता । अतः विधि में किसी भी अधिकार के उल्लंघन के लिए उपचार का प्रावधान होना चाहिये । संविदा विधि के लिये भी यही बात उपयुक्त है । संविदा विधि से सम्बन्धित कोई भी पुस्तक संविदा के उल्लंघन के उपचार की विवेचना के बिना अपूर्ण रहेगी । अतः इस अध्याय में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय 6 में उल्लिखित उपचार का संक्षेप में विवेचन करने की चेष्टा की गई है ।

ऐन्सन[1] के अनुसार, संविदा के उल्लंघन के उपचारों को निम्नलिखित 3 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है--

1. नुकसान
2. क्वान्टम मैरियट
3. विशिष्ट पालन तथा व्यादेश

नुकसान-- नुकसान के लिए अधिकार स्थापित करने के लिये सर्वप्रथम यह उपदर्शित करना आवश्यक है कि संविदा के उल्लंघन से उसे हानि हुई है । परन्तु यदि वह यह सिद्ध भी कर लेता है तो विधि प्रतिवादी को उसकी हुई प्रत्येक हानि को दाने को बाध्य नहीं करेगी । कुछ ऐसी हानियाँ होती हैं जो दूरस्थ होती हैं और जिनके लिए वादी को प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है ।[2]

नुकसान की दूरस्थता- संविदा के उल्लंघन से हुई प्रत्येक हानि की पूर्ति करने के लिए वादी उत्तरदायी नहीं है । इस सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त यह है कि वादी उन नुकसानों को पूरा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है जो कि दूरस्थ हैं । इस सम्बन्ध में हैडले बनाम वैक्सनडेल[3] में न्यायाधीश एल्डरसन ने विधि प्रतिपादित की थी ।

दृष्टान्त

रतलाम में फैक्ट्री लगाने हेतु कुछ मशीनरी के बक्से वादी ने जहाज द्वारा भेजे जाने के लिए प्रतिवादी को परिदत्त किये । प्रतिवादी उक्त वक्सों में से एक को पहुँचाने में असफल रहा परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उक्त डिब्बे में मशीनरी का कोई बहुत महत्वपूर्ण भाग था जिसके विना फैक्ट्री खड़ी नहीं की जा सकती थी । वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध न केवल मशीनरी के

---

1. ऐन्सन्स ला आफ कन्ट्रैक्ट, 23वाँ संस्करण पृ० 505
2. ऐन्सन्स ला आफ कन्ट्रैक्ट, 23वाँ संस्करण पृ० 506
3. (1845) 9 ऐक्सचेकर 381

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

उक्त भाग के खोने के लिये नुकसानी प्राप्त करने हेतु वरन् कार्य के बन्द रहने से होने वाली हानि के लिए भी नुकसानी प्राप्त करने का वाद किया ।

वादी मशीनरी के खोये भाग की कीमत तथा कुछ सामान्य नुकसानी ही प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकता है । यह विशेष नुकसानी अर्थात् कार्य बन्द होने से होने वाली हानि के लिये प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकता है ।

क्वान्टम मेरियट

ऐन्सन के अनुसार, जब कभी संविदा के भंग होने पर किसी क्षतिग्रस्त पक्षकार ने अपने कार्य का कुछ अंश पूरा कर दिया है, जो कि वह संविदा के अन्तर्गत करने को बाध्य था, तो वह ऐसे किये गये कार्य के मूल के लिए दावा करने का अधिकारी है । ऐसी दशा में यह कहा जायेगा कि वह क्वान्टम मेरियट के लिये वाद कर रहा है ।

पूरनलाल शाह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य[1] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि स्वान्टम मेरियट का सिद्धान्त अंग्रेजी विधि में प्रचलित है तथा भारत में भी इसे अपनाया जाता है ।

इस वाद में वादी ने तीन मील लम्बे नैनीताल-भुवाली मार्ग के निर्माण के लिये निविदा दी थी । निविदा में दी गयी दरें संयुक्त प्रान्त द्वारा 30 दिसम्बर 1943 को बनाई गयी अनुसूची में उल्लिखित दर से 13 प्रतिशत कम थीं । उनकी निविदा को स्वीकार कर लिया गया । तत्पश्चात् वादी ने अधिक दरों को प्राप्त करने के लिए दावा किया । इस दावे के दो आधार थे–

(क) कार्य करते समय एक कड़ी चट्टान मिली थी, तथा

(ख) संविदा की शर्तों के अनुसार पत्थर कार्य-क्षेत्र के पास ही मिलना चाहिये था जो कि नहीं मिला ।

विनिर्दिष्ट अनुपालन और व्यादेश

संविदा भंग का सामान्य उपचार नुकसानी के लिये वाद है । परन्तु अपवाद के रूप में कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का व्यादेश दे सकता है । इस सम्बन्ध में विधि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में वर्णित है । इसी प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में संविदा भंग को रोकने हेतु न्यायालय व्यादेश जारी कर सकता है । इस सम्बन्ध में भी विधि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में वर्णित है ।

---

1. ए०आई०आर० 1971, एस० सी० 712

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

प्रमुख वाद

मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष
(1903) LL.R. 30 cal. 539 (P.C.)

भूमिका – यह वाद अवयस्क की संविदाओं की प्रकृति, उसके द्वारा कपटपूर्ण, मिथ्या व्यपदेशन, उसके प्रति विबन्ध के सिद्धान्त के लागू होने, संविदा अधिनियम की धारायें 64, 65 आदि से सम्बन्धित हैं ।

तथ्य तथा विवाद– प्रत्यर्थी जो कि एक अवयस्क था, उसने कलकत्ता के एक ऋणदाता ब्रह्मोदत्त से यह कहकर ऋण प्राप्त किया कि वह वयस्क है तथा ऋण प्राप्त करने के लिये उसके पक्ष में एक बन्धक विलेख लिख दिया था । जिस समय बन्धक के ऊपर अग्रिम धन देने के बारे में विचार किया जा रहा था उसी समय ब्रह्मोदत्त के एजेन्ट केदारनाथ को यह सूचना मिली थी कि प्रत्यर्थी अवयस्क है; अतः वह विलेख को निष्पादित नहीं कर सकता । परन्तु फिर भू उसने धर्मोद्स घोष से बन्धक विलेख निष्पादित करा लिया । तत्पश्चात् अवयस्क ने अपनी माता अभिभावक द्वारा ब्रह्मोदत्त केविरुद्ध एक वाद किया जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की की बन्धक-विलेख को रद्द किया जाये, क्योंकि जिस समय यह बन्धक विलेख निष्पादित किया गया था, वह एक अवयस्क था । न्यायमूर्ति जेकिन्स जो परीक्षण न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने प्रत्यर्थी की उक्त प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बन्धक-विलेख को रद्द कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध अपील को भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया; अतः अपीलार्थी ने प्रिवी कौंसिल में अपील की । इस अपील को करने के समय ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो चुकी थी । अतः उसकी उत्तराधिकारिणी मोहरी बीबी ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था । मोहरी बीबी की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये–

(1) बन्धक विलेख को रद्द करते समय न्यायालय को अवयस्क को बाध्य करना चाहिये था कि उसने उस विलेख के अन्तर्गत जो धन प्राप्त किये हैं, वह उसे लौटाये । इस तर्क के पक्ष में उन्होंने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 का हवाला दिया जिसके अन्तर्गत न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति है ।

(2) संविदा अधिनियम की धारा 64 एवं 65 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को रद्द किये गये विलेख के अधीन प्राप्त किये गये धन को वापस लौटाने को बाध्य किया जा सकता है ।

(3) बिबन्ध के सिद्धान्त के अनुसार अवयस्क को जिसने कि अपने को अवयस्क कहा था, अब यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह यह तर्क करे कि संविदा करते समय वह अवयस्क था ।

(4) अवयस्क द्वारा की गयी संविदा शून्यकरणीय होती है ।

निर्णय– न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया ।

प्रतिपादित नियम- (1) अवयस्क द्वारा की गयी संविदा शून्यकरणीय न होकर पूर्ण तथा

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

प्रारम्भ से ही शून्य होती है ।

(2) अवयस्क के प्रति संविदा अधिनियम की धारा 64 एवं 65 लागू नहीं होती है, क्योंकि इन धाराओं के लिए यह आवश्यक है कि संविदा के पक्षकार संविदा करने के लिये सक्षम होने चाहिये ।

(3) इस मामले में विवन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पक्षकारों को यह सूचना थी कि संविदा एक अवयस्क के साथ ही जा रही है ।

(4) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के अन्तर्गत अवयस्क को शून्य संविदा के अधीन प्राप्त किये गये लाभों को वापस लौटाने के लिये बाध्य किया जा सकता है । परन्तु इस वाद में न्यायालय ऐसा उचित नहीं समझता, क्योंकि जब धर्मोदास घोष को बन्धक ऋण दिया गया था तो अपीलार्थी को इस बात का पता था कि वह अवयस्क है ।

निष्कर्ष-- उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर प्रिवी काउन्सिल ने अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया ।

भगवानदास मैसर्स बनाम गिरधारीलाल एण्ड कम्पनी
(A.I.R. 1966, S.C. 543)

JSB LAW College

भूमिका-- यह वाद प्रस्ताव के टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा स्वीकृति से सम्बन्धित है ।

तथ्य तथा विवाद-- इस वाद में प्रतिवादी का कथन था कि वादी ने टेलीफोन द्वारा बिनौले की खली के क्रय के लिये प्रस्ताव किया था तथा उस प्रस्ताव को खामगाँव में स्वीकार किया गया था । संविदा के अन्तर्गत वस्तुयें खामगाँव में परिदत्त की जानी थी तथा उनका मूल्य भी खामगांव में चुकाया जाना था । अतः प्रतिवादी का कथन था कि खामगाँव के नगर-न्यायालय को ही इस वाद को निर्णीत करने की अधिकारिता थी । दूसरी ओर वादी का कथन था कि अहमदाबाद के नगर न्यायालय को इस बात की अधिकारिता थी, क्योंकि प्रतिवादी ने बिनौले की खली वेचने का प्रस्ताव किया था जिसे कि उसने अहदाबाद में स्वीकार किया था । अतः न्यायालय के सम्मुख यह प्रश्न था कि यदि स्वीकृति टेलीफोन से की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण है जहाँ पर कि प्रतिज्ञाग्रहीता की स्वीकृति सूचित की जाती है । अतः न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविदा अहमदाबाद में पूर्ण हुई । अतः अहमदाबाद के नगर-न्यायालय को ही अधिकारिता थी। इस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसे कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया । उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने प्रस्तुत अपील विशेष अनुमति से उच्चतम न्यायालय में दायर की ।

निर्णय-- उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से अपील को खारिज कर दिया तथा धारित किया कि जव संविदा टेलीफोन के द्वारा होती है तो डाक या तार के सम्बन्ध में स्वीकृति का नियम लागू नहीं होता ।

Scanned with CamScanner

प्रतिपादित सिद्धान्त-- उच्चतम न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया कि जब संविदा टेलीफोन द्वारा होती है तो संविदा उस समय तथा उस स्थान पर पूर्ण होती है जिस स्थान पर प्रतिज्ञाग्रहीता को स्वीकृति की सूचना दी जाती है । बहुमत से निर्णय देते हुये न्यायाधीश शाह ने कहा कि टेलीफोन द्वारा बातचीत में एक अर्थों में पक्षकार एक-दूसरे की उपस्थिति में होते हैं, और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की आवाज को सुन सकता है । अतः इसमें डाक या तार द्वारा स्वीकृति का नियम लागू नहीं हो सकता । उनके मौलिक शब्दों में--

"In the case of telephone conversation, in a sense the parties are in the presence of each other, each parth is able to hear the voice of the other. There is instantaneous communication of the speech intimating of an acceptance, rejection or counter-offer. Intervention of electrical impulse which results instantaneous communication of message from a distance does not alter the nature of conversation so as to make it analogus to that of an offer and acceptance through post or by telegraph.... If regard be had to the essential nature of conversation by telephone, it would be reasonable to hold that the parties being in a sense in the presence of each other, and negotiations so concluded by instaneous communication of acceptance is a necessary part of the formation of the contract, and the exception to the rule imposed on ground of commercial expediency is a inapplicable."

विपरीत निर्णय-- न्यायाधीश हिदायतउल्लाह उपर्युक्त सिद्धान्त से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने अपना विपरीत निर्णय दिया । उनके मतानुसार संविदा अधिनियम की धारा ४ टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा संविदा के विषय में वही नियम प्रतिपादित करती है जो डाक या तार के लिये है । उनके मौलिक शब्दों में-- "The language of section 4 of the Indian Contract Act covers the case of communication over the telephone. Our Act does not provide separately for post. Telegraph, Telephone and Wireless."

अतः न्यायाधीश हिदायतउल्लाह के अनुसार संविदा खामगाँव में हुई, क्योंकि वहाँ पर स्वीकृतिकर्ता ने स्वीकृति के शब्द बोले थे । अतः खामगांव के नगर न्यायालय को इस वाद में क्षेत्राधिकार था ।

निष्कर्ष-- अपील को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया कि टेलीफोन या टेलेक्स से स्वीकृति के विषय में डाक या तार द्वारा स्वीकृति का नियम लागू नहीं होता । स्वीकृति का सामान्य नियम यह है कि इसकी संसूचना प्रतिज्ञाग्रहीता को की जानी चाहिए। डाक या तार द्वारा स्वीकृति इस नियम का अपवाद है । टेलीफोन द्वारा स्वीकृति में यह अपवाद लागू नहीं होता है ।

LSBLAW College

Scanned with CamScanner

Special Relief Act 1961

सामान्य-

1. S.P.A. 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष से सम्बन्धित विधि को परिभाषित एवं संशोधित करने वाला अधिनियम है ।
2. इस अधि0 को 13 दिस. 1963 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी ।
3. अधिनियम की धारा 2 इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों (जो इस अधि0 में परिभाषित नहीं है, को उन्हीं अर्थों में लिये जाने की अनुमति देती है । जिन अर्थों में वे भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित है ।
4. धारा 4 SRA के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही अनुदत्त किया जायेगा न कि किसी दण्ड विधि के प्रयोजन मात्र हेतु ।
5. यह अधिनियम तीन भागों तथा आठ अध्यायों में विभाजित है ।

स्थावर सम्पत्ति से बेदखल किये गये व्यक्ति द्वारा वाद-

धारा - 6 SRA का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है । स्थावर सम्पत्ति से विधि विरुद्धता तथा बलात से बेदखली किया गया व्यक्ति या उसके अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति केवल कब्जे की पूर्नप्राप्ति हेतु धारा- 6(3) SRA के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर सकेगा ।

धारा- 6(1) SRA के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद की सुनवाई करने वाला न्यायालय स्वत्व के प्रश्न या कब्जे के अधिकार के प्रश्न को न्याय निर्णय नहीं कर सकेगा ।

धारा 6(1) SRA प्रगति की है । न्यायालय अवैध रूप से किसी स्थावर सम्पत्ति से बेदखल किये गये व्यक्ति को कब्जे की पुर्न प्राप्ति का अनुतोष दे सकेगा । यही कारण है कि धारा- 6(3) SRA अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में पारित आज्ञप्ति या आदेश के अन्तिमत प्रदान करती है ।

धारा 5 SRA दोनों पक्षों के मध्य साम्या सन्तुलित करती है । अतः कोई पक्ष अपना स्वत्व या कब्जे का अधिकार स्थापित करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्रता होगी ।

धारा 6(1) SRA के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में न्यायालय निम्नलिखित बिन्दु अवधारित करने हेतु सक्षम नहीं है -

(1) यह कि कौन सा पक्ष प्रश्नगत स्थावर सम्पत्ति पर स्वत्व धारक है ।

(2) प्रश्नगत स्थावर सम्पत्ति पर कौन सा पक्ष वपिधित कब्जे का अधिकारी है ।

Yashwant singh V/s Jagdish singh (1960) SC

धारित- स्वत्व का अवधारण धारा- 6 SRA की परिधि में नहीं है ।

गंगादीन बनाम गोकुल प्रसाद (1950) Allahabad

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

यह अधिनियम उन मामलों में उपचार प्रदान नहीं करता जिनमें किसी विशेष अधिनियम अर्थात् स्थानीय विधि के अन्तर्गत उपचार प्रदान किया गया है ।

यार मोहम्मद बनाम लक्ष्मीदास (1950) Allahabad (Full bench)

धारा-6 SRA स्वतव के प्रश्न पर विचार करने की अनुमति नहीं देती । अतः वादी स्वत्व सिद्ध किये बिना भी उपचार प्राप्त कर सकता है ।

यदुनाथ सिंह बनाम विष्णु नाथ सिंह (1950) Allahabad

भू-स्वामी या किरायेदार दोनों ही प्रतिवादी द्वारा बेदखल किये जाने पर धारा 6 छद्म की सहायता ले सकता है ।

धारा- 6 SRA का उद्देश्य-

1. विधि को अपने हाथ में लेने से हतोत्साहित करना ।
2. शांतिपूर्ण कब्जे का संरक्षण ।
3. संक्षिप्त एवं त्वरित उपचार उपलब्ध करना ।
4. स्वत्च सिद्ध किये बिना कब्जे को पुर्नप्राप्ति सुनिश्चित करना ।
5. विवादकारियों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु विवश करना ।

संविदायें जो विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित करायी जा सकेगी । (S. 10. SRA)

सामान्य-

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 1963 का अध्याय 2 संविदाओं के विनिर्दिष्ट अनुपालन से सम्बन्धित है । धारा- 10 SRA उन मामलों को स्पष्ट करती है जिनमें संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रवर्तनीय होगा । धारा- 14 SRA इन संविदाओं का उल्लेख करती है । जो विनिर्दिष्ट अनुपालन योग्य नहीं है ।

किन मामलों में संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रवर्तनीय होगा (S. 10. r/w S.20 SRA)

धारा 10 S.R.A. के अनुसार किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन न्यायिक विवेक के अधीन प्रवर्तनीय है ।

(S. 10 r/w S.20 SRA)

धारा 10 SRA के अनुसार किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन न्यायिक विवेक के अधीन प्रवर्तनीय है ।

धारा- 20 SRA के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विवेकीय है । न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुपालन का अनुतोष मात्र इस कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है कि ऐसा करना विधि सम्मत है । न्यायालय का विवेक निरंकुश नहीं होना चाहिये । न्यायिक विवेक युक्ति संगत एवं सतर्क होना चाहिये । वैवेकीय शक्ति न्यायिक सिद्धान्तों द्वारा न्याय दर्शित है । अपीलीय न्यायालय संशोधनकारी शक्ति रखते हैं ।

धारा 10 SRA को अनुसार निम्नलिखित मामलों में संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रवर्तनीय हो सकेगा--

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

1. जहाँ किये जाने हेतु सहमत कृत्य के अपालन द्वारा कारित वास्तविक क्षति के अवधारण हेतु कोई मानक न हो, या

S.19(a)SRA

2. जहाँ किये जाने हेतु सहमत कृत्य की प्रकृति ऐसी हो कि उसके अपालन हेतु आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त अनुतोष न होगी । (S. 10 (b) SRA)

धारा- 10 S.R.A. का स्पष्टीकरण विधिक प्रकल्पना से सम्बन्धित है । यह प्रकल्पना विखण्डनीय है । निम्नलिखित प्रकल्पित किया जा सकेगा--

1. स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण हेतु की गयी संविदा का भंग आर्थिक क्षतिपूर्ति द्वारा पर्याप्त अनुतोष योग्य नहीं है ।

2. स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा का भंग आपवादिक मामलों को छोड़कर आर्थिक क्षतिपूर्ति द्वारा अनुतोषित किये जाने योग्य है । आपवादिक मामले निम्नलिखित हैं--

(i) जहाँ की चल अचल सम्पत्ति वाणिज्य की आम वस्तु न हो; या

(ii) ऐसी चल अचल सम्पत्ति वादी के लिये विशेष मूल्य या हित रखती हो, या

(iii) ऐसी वस्तुओं से गठित हो जो बाजार में सरलता से प्राप्त न हो ।

3. जहाँ कि सम्पत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हों।

कौन सी संविदायें विनिर्दिष्ट अनुपालन योग्य नहीं हैं । (धारा 14 SRA)

JSB LAW College

Scanned with CamScanner